

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

[प्रस्तुत 26
(नियम 4क देखिए)



ठानपुर-उनाव विधान रबड़ निर्वाचनक्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) (सदन का नाम)
के लिए निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग- अ
मैं, **ओम प्रकाश 'बाबी'**, ** पुष्प/पुर्णी/पल्ली **श्री रवीराम** आयु 46 वर्ष,
जो श्री रवीराम की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। कहती हूँ शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/कहती हूँ:-
(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे **निर्दलीय** (**) राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है। निर्दलीय
अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।
(**) जो लागू न हो उसे काट दें।
(2) मेरा नाम **मन्दूलन, मनु (जेनपट)** इ०प्त० (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), मैं क्रम
सं. ४५७ पर, भाग सं. 6 में प्रविष्ट हूँ।
(3) मेरा मेरा संख्या ९९३५७३४५२। दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और ई-मेल पता (यदि कोई
हो) है।

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी में लिए औंतिम आय-कर वर्षाई गई कुल आय विवरणी पत्राइल की गई है (रूपये में)
1.	स्वयं ओम प्रकाश 'बाबी' ,		
2.	प्रति/पल्ली - प्रमिला देवी		
3.	आधित-1 उननन्द प्रकाश		
4.	आधित-2 अमृत प्रकाश		
5.	आधित-3	X	

(5) मैं ऐसे किसी नियमित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है। किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।
करेगी।:-

(1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	सम्बन्धित शपथ पत्र ज्ञालग्न है।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	सम्बन्धित शपथ-पत्र ज्ञालग्न है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	सम्बन्धित शपथ-पत्र ज्ञालग्न है।



निवाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचारित किए हैं	संबन्धित व्यापक-पत्र संज्ञान है।
(इ)	तारीख जिस पर आरोप विचारित किए गए	संबन्धित व्यापक-पत्र संज्ञान है।
(च)	व्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले द्वारा रोक लगाई गई है।	संबन्धित व्यापक-पत्र संज्ञान है।

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है इनके प्रति मद (८) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीखः	मन्त्रित है।
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरा	नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धांष नहीं ठहराया गया है और एक वर्थ या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।

यदि अधिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धांष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धांष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धांष किया गया	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धांष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि है, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायोगिकता :	नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूँ :

क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदिश्त किया जाना है।

टिप्पण 2 : निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।


टिप्पण 3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की वाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4 : आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उल्लेख है।



निवासनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक क्षेत्र (एकड़ा में कुल माप)	००	००	००	००	X
	क्षया विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(ii)	गैर कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्यांक क्षेत्र (बर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्षया विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iii)	बाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक क्षेत्र (बर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (बर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्षया विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

टिप्पण 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	40 हजार	20,000/-	X	X	
(ii)	बैंक खातों में निषेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निषेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निषेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निषेप और ऐसे प्रत्येक निषेप की रकम	X	1,309/-	X	X	X
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	X	X	X	X	X
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	X	X	X	X	X
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	X	X	X	X	X
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	X	X	X	X	X
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	X	प०ग्रा० से भी अधिक प०ग्रा० लागू आप्र० लागू आप्र० लागू	X	X	X
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	X		X	X	X
(ix)	सकल कुल मूल्य	50 हजार	10,000/-	X	X	

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पण 2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	×
	क्षेत्र (वर्गफोट में कुल माप)	✗	✗	✗	✗	✗
	निर्धित क्षेत्र (वर्गफोट में कुल माप)	✗	✗	✗	✗	✗
	क्षय किरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	✗	✗	✗	✗	✗
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✗	✗	✗	✗	✗
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✗	✗	✗	✗	✗
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनियोग	✗	✗	✗	✗	✗
(iv)	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	✗	✗	✗	✗	✗
	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	✗	✗	✗	✗	✗
(iv)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	✗	✗	✗	✗	✗

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देवों के व्याप्रे नीचे देता हूँ -

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग व्याप्रे दे)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देव, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	✗
	ऊपर अल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देव, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार कोई अन्य दायित्व	✗	✗	✗	✗	✗
	दायित्वों का कुल योग	✗	✗	✗	✗	✗
(ii)	सरकार के देव, : सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देव	✗	✗	✗	✗	✗
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देव	✗	✗	✗	✗	✗
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देव	✗	✗	✗	✗	✗
	टेलीफ़ोन/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	✗



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	X	X	X	X	X
आधकर देय	X	X	X	X	X
संपत्ति कर देय	X	X	X	X	X
सेवा कर देय	X	X	X	X	X
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	X	X	X	X	X
बिकी कर देय	X	X	X	X	X
कोई अन्य देय	X	X	X	X	X
(iii) सरकारी के सभी देयों का कुल योग	X	X	X	X	X
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लिखित है	X	X	X	X	X

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे : (पिता-पर लाभित)

(क) स्वयंपिता पर लाभित

(ख) पति/पत्नी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे : पिता पर लाभित

(प्रमाणपत्र/डिलोमा/डिग्री पाद्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे में, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यारा दें जिसमें पाद्यक्रम पूरा किया गया था)

प्रमाण पत्र - रुमा. ए. (यजर्षि टैटन ओपेन विश्वविद्यालय इलाहाबाद.)
वर्ष - 2012 (प्रमाण पत्र संलग्न) द्वारा प्राप्त।

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यारे का सार :

1	अध्यार्थी का नाम	श्री/श्रीमती/इमरती उमेश प्रकाश शास्त्री
2	डाक का पूरा पता	३३०-बसारतपुर, प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, भनवेल-भजनपुर
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	कानपुर-उन्नाव शिक्षा निर्वाचन विभाग
4	राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यार्थी को खड़ा किया है (अन्यथा सनिदलीय - लिखें)	सनिदलीय
	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	तिररणों का शपथ-पत्र संलग्न है।
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर यदि (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	न्यायालय के संशान में - दो मामले
6	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकारी, 1951, की आरा 8 की उपधारा उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	नहीं



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)


7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय
	(क) अध्यर्थी	-१८	नहीं	✗
	(ख) पति या पत्नी	५१५०४२०५०००३७	नहीं	✗
	(ग) आधिकारिक	✗	✗	✗
8.	आसितयों और दायित्वों के रूपयों में घौरे			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधिकारिक 1
आ	जगम आसित्या (कुल मूल्य)	✗	✗	✗
आ	स्थावर आसित			
I	स्थानिक स्थावर संपत्ति की क्रम कीमत	✗	✗	✗
II	क्रम के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	✗	✗	✗
III	(ख) स्थानिक संस्थाओं (कुल) (ज) विराजमान जारीतीय (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	✗	✗	✗
9.	दायित्व			
	(i) सरकार के देय (कुल)	✗	✗	✗
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	✗	✗	✗
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है	✗	✗	✗
	(i) सरकार के देय (कुल)	✗	✗	✗
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	✗	✗	✗
11.	उच्चतम शीक्षिक अवधार :			
	(प्रमाणपत्र/डिलोग्राफ़ि/पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के घौरे हैं, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम हैं और वह वर्ष का घौरा है जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।) दोपहर ११:३० बजे २०१२			

मैं, ऊपर नामित अभियांत्री यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस ज्ञापनात्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग भी भिन्न नहीं है और कोई तात्परिक बात लिखाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

- (क) पूर्वोक्त भाग अ की मद ५ और मद ६ और भाग आ मे उल्लिखित से मिल किए भाग्यते में मैं लोगोंसे भी नहीं हुआ हूँ या कोई भागला मेरे विस्तर से लिखित नहीं हैं;
(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद ७ और मद ८ तथा भाग आ के मद ८, मद ९ और मद १० मे उल्लिखित से मिलन मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आधिकारिक की कोई भी अस्तित्व या दायित्व नहीं है।

कानूनी स्थान पर आज तारीख १६-६-२०१७ को सत्यापित किया गया।

30/06/2017


अभियांत्री के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सामने तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समझ या प्रथम वर्ष भिन्न-भिन्न के समझ या नोटरी पब्लिक के समझ शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी संघ भरे जाने चाहिए और कोई संघ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी संघ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टकित होना चाहिए या सुपार्ट और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

This document is
presented
before this date _____ where
certified by Sh. _____

Pankaj Agarwal, Advocate
Notary Public
Government of India

16/6/2017

